कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3081/11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, लखनऊ, दिनांकः अप्रैल 29 ,2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अंतर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्धवा दक्षिणी बीट कं0नं0 14अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी टंकी, आर0ओ0 एवं शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 65 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः– उ0प्र0 शासन का पत्रांक–170/81–2–2022, दिनांक 25.02.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक–4609/मी0क्षे0/33, दिनांक 26.04.2022 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वांछित सूचना/आख्या मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के उपरोक्त पत्रांक–4609/मी0क्षे0/33, दिनांक 26.04.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

विषयगत प्रकरण में यह भी अवगत कराना है कि नक्सल प्रभावित जनपदों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.03.2019 को निर्गत Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications) के चैप्टर–4, पैरा–4.4 Public infrastructure in LWE districts के उपपैरा नं0–4.4.4 (d) में निम्न उल्लेख किया गया हैः–

"d. The general approval in LWE areas, is in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 This general approval is valid till 31st December, 2020."

अतः उपरोक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के द्वारा प्रेषित की गयी उपरोक्त सूचना/आख्या एवं प्रस्ताव की एक प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–3081/11–सी–FP/UP/Disp/49674/2020, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
3. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट–सोनभद्र।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-465